

12.07 hrs

Motion for election of Fifteen Members of Lok Sabha and Seven Members of Rajya Sabha to the Committee on Public Undertakings

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 312 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 312 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
